दिनांक 09 नवम्बर, 2011 को सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड के सचिवालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिंग हेतु आमंत्रित निविदा के क्रम में प्री–बिड मीटिंग का कार्यवृत्त

दिनांक 09 नवम्बर, 2011 को सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों की लेजर प्रिन्टिंग हेतु आमंत्रित निविदा के क्रम में प्री–बिड मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं फर्मों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

क्र.सं.	निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड से उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण
1.	श्रीमती सौजन्या, अपर सचिव एव संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
2.	श्रीमती प्रतिमा पैन्यूली, वित्त नियन्त्रक, निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड
3.	श्री एस0सी0नौटियाल, अपर निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
4.	श्री दिवाकर प्रसाद मनोड़ी, प्रवर सहायक, कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
	प्री–बिड मीटिंग में उपस्थित फर्मों का विवरण
5	मै0 मैक्रो इन्फोटेक प्रा0लि0, 100/1, बसन्त विहार, देहरादून।
6.	मै0 क्रियेटिव कम्प्यूटर्स, चन्द्रभागा, पिथौरागढ़।
7.	मै0 एम0के0एण्टरप्राईजेज, चीनाखाना, अल्मोड़ा।
8.	मै0 बिट्स कम्प्यूटर्स, बी–6, मॉडल हाउस, नई टिहरी।
9.	मै0 दुर्गा फोटो कॉपियर, श्री रोहिला, दिल्ली।
10.	मै0 मंगला फोटो कॉपियर एण्ड स्टेशनर्स, नई दिल्ली।

सर्वप्रथम वित्त नियन्त्रक, निर्वाचन विभाग द्वारा समस्त प्रतिभागियों का स्वागत किया गया तत्पश्चात उपस्थित प्रतिभागियों को निर्वाचन संबंधी कार्यों की तात्कालिकता, समयबद्धता एवं महत्ता के संबंध में अवगत कराया गया।

2. बैठक में उपस्थित समस्त फर्मों के प्रतिनिधियों से टेण्डर डाक्यूमेन्ट को विभागीय वैब–साईट से डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के संबंध में जानकारी चाही गयी, जिस पर समस्त प्रतिभागियों द्वारा अवगत कराया गया कि टैण्डर डाक्यूमेन्ट डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। टेण्डर डाक्यूमेन्ट के Section-A में उल्लिखित Scope of Work के संबंध में समस्त फर्मों के प्रतिनिधियों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गयी।

3. मै0 क्रियेटिव कम्प्यूटर्स के प्रतिनिधि द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया कि निविदा सूचना में निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21 नवम्बर, 2011 निर्धारित है, जबकि निविदा फार्म किसी भी कार्यदिवस और कार्यालय समयान्तर्गत दिनांक 18 नवम्बर, 2011 अपरान्ह 05.00 बजे तक उल्लिखित कार्यालय से रू0 1410.00 के नकद/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करने का उल्लेख किया गया है। उक्त सन्दर्भ में वित्त नियन्त्रक द्वारा अवगत कराया गया कि चूंकि 19 एवं 20 नवम्बर, 2011 को राजकीय अवकाश है, जिस कारण निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 नवम्बर, 2011 की गयी है। यह भी अगवत कराया गया कि संबंधित फर्मों को किसी भी प्रकार की कठिनाईयों का सामना न करना पडे, इसलिए समस्त प्रतिभागी सुविधा की दृष्टि से दिनांक 18 नवम्बर, 2011 तक ही बैंक ड्राफ्ट लगा लें, तो उचित होगा।

क्रमशः...2 पर

4. बैठक में उपस्थित समस्त फर्मों के प्रतिनिधियों से यह भी अनुरोध किया गया कि टैण्डर डाक्यूॅमेन्ट प्रस्तुत करने हेतु समस्त आवश्यक/अपेक्षित दस्तावेज, यथा–पंजीकरण प्रमाण पत्र, विगत तीन वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र, विगत तीन वर्षों का टर्न–ओवर आदि की पूर्ण रूप से जांच कर टैण्डर डाक्यूॅमेन्ट प्रस्तुत करें। उनके द्वारा पुनः समस्त प्रतिभागियों का ध्यान निर्वाचन कार्य की समयबद्धता की ओर आकृष्ठ करते हुए कार्य की टैण्डर डाक्यूॅमेन्ट का ढंग से अध्ययन करने अपेक्षा की गयी।

5. मै0 विट्स कम्प्यूटर्स एवं मै0 एम0के0एण्टरप्राईजेज के प्रतिनिधियों द्वारा टैण्डर डाक्यूमेन्ट के प्रस्तर–3 एवं प्रस्तर–9 के क्रम में फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों की सन्तोषजनक ढंग से गुणवत्तायुक्त लेजर प्रिन्टिंग कार्य के संबंध में उनके द्वारा पृच्छा की गयी कि उनकी फर्मों द्वारा विगत तीन वर्ष से भी अधिक अवधि से लेजर प्रिन्टिंग के समान प्रकृति का कार्य अर्थात फोटो पहचान पत्र निर्मित किये जाने का कार्य सम्पादित किया जा रहा है, जो निर्वाचक नामावली की लेजर प्रिन्टिंग के समान प्रकृति का कार्य है।

7. टैण्डर डाक्यूमेन्ट के प्रस्तर–33 पर चर्चा हुई, जिस पर तात्पर्य रहा कि Consortium द्वारा प्रेषित निविदा मान्य नहीं होगी। बैठक में उपस्थित फर्मों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि किसी भी प्रकार की conditional Bid को स्वीकार नहीं किया जायेगा

8. Annexure-3 पर चर्चा हुई तथा अवगत कराया गया कि Annexure-3 के खण्ड–ख की तालिका के कॉलम–4 (दर प्रति पेज) में कोई भी सशर्त दर मान्य नहीं होगी अर्थात ऐसा वित्तीय प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। उपस्थित फर्मों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि सुस्प्ष्ट बिना किसी शर्त या clause के ही दर अंकित की जाय। **वित्तीय निविदा प्रपत्र (Annexure-3) के खण्ड–ख में आगणित कुल न्यूनतम निविदा मूल्य L-1 के रूप में निर्धारित किये जाने का आधार होगी।**

उक्तानुसार बैठक में हुई कार्यवाही, विचार–विमर्श एवं निर्गत निर्देशों से समस्त फर्मों के प्रतिभागियों के सहमत होने पर समस्त प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

–ह0–	–ह0–	–ह0–	–ह0–
दिवाकर प्रसाद मनोड़ी	**प्रतिमा पैन्यूली**	**एस0सी0नौटियाल**	**सौजन्या**
प्रवर सहायक	वित्त नियन्त्रक, निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड	अपर निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।	अपर सचिव एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी